

और कांची हो गये। प्रतीक 1971 के नेतृ पर अक्सर प्रतिबन्ध लगाये जाने, कोल हैडलिं प्लाट में नियमानुसार कार्य करो मालदोलन तथा 23 प्रतीक 1971 को द्वल-डाउन हाइटाल के कारण उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ा।

(ग) प्रबन्धक वर्ग तथा द्विनियमों में द्विपक्षीय वातावरण, प्रेस्साहन योजनाओं का पुनरी-जाग, शिक्षायत निवारण, समितियों की स्थापना आदि द्वारा मालिक मञ्चदूर सम्बन्धों में सुधार जाने के हर सम्बन्ध प्रबल किए जा रहे हैं।

गेहूं की बस्तुली में भारतीय खाद्य नियम के अधिकारियों द्वारा
तथा अधिकृत गड़बड़ी

5636. श्री कमल नियम मनुकर :

श्री प्रबोध चन्द्र : क्या हृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यह सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया है कि भारतीय खाद्य नियम में कुछ अधिकारी किसानों द्वारा छिकी के लिए लाए गए गेहूं को जानबूझकर घटिया शोषित करते हैं और इस प्रकार उनको परेशान करते हैं और गेहूं की बस्तुली में बड़े पैमाने पर घटबढ़ करते हैं;

(ख) ऊपर बताये गये तथ्यों के बावजूद अधिकारियों के विश्वद कोई कार्यवाही न किये जाने के क्या कारण हैं;

(ग) यह भारतीय खाद्य नियम द्वारा उत्तर प्रदेश और बिहार में बस्तु किए गए गेहूं के निरीक्षण के लिए सरकार प्रबन्ध करेगी और इस बात की श्री जांच करेगी कि किस प्रकार गड़बड़ी हो रही है और किसानों को परेशान किया जा रहा है; और

(घ) यदि हाँ, तो क्या तक ?

हृषि बांधालय में राज्य बच्ची (श्री अमरालाल हाहिं पी. शिवे) : (क) और (ख) . इस संबंध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं और जैसे ही ये शिकायतें प्राप्त हुई थी तभी उनकी जांच करने के बारे में कार्यवाही की गई है।

(ग) और (घ) . भारतीय खाद्य नियम के स्थानीय अधिकारी मंडियों में गेहूं की बरीदारी के समय सामान्य किसी संबंधी जांच करते हैं। बरीदी गई गेहूं की भारतीय खाद्य नियम के किसी नियंत्रण प्रभाग के विशिष्ट अधिकारियों द्वारा पुनः जांच की जाती है और गेहूं के नमूनों की नियम की प्रयोगशालाओं में विश्लेषण द्वारा भी जांच की जानी होती है। इसके अतिरिक्त, क्षेत्रीक उत्तर प्रदेश की मंडियों में कठिनाइयों की शिकायतों की संख्या बहुत अधिक थी, इसलिए जिलाधीशों को स्थानीय समितियों गठित करने और अनाज की किसी के बारे में स्थल पर ही निर्णय लेने के लिए प्राधिकृत कर प्रबन्ध किया गया था। इन प्रबन्धों तथा नियम के उच्च तकनीकी अधिकारियों द्वारा अधिजांच करने और प्रयोगशाला में विश्लेषण करने की हस्ति में अधिप्राप्त गेहूं के निरीक्षण के लिए कोई और प्रबन्ध करना आवश्यक नहीं समझा जाता है।

Storage of wheat in Schools, Colleges and Private Godowns in Bulandshahar

5637. SHRI RAJ DEO SINGH : Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether Government are aware that four lakh bags with wheat were dumped in Schools, Colleges and Private Godowns for want of rail wagons at Bulandshahar; and

(b) if so, what is the position today ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI